

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 56 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार सुगम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शारान के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(क) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	श्रीमती कुन्ती देवी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 फागपुर, चम्पावत	सुगम	रा0प्रा0वि0 कायल, लोहाघाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती रजनी वर्मा	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मत्लाढेक, लोहाघाट	सुगम	रा0प्रा0वि0 ठांटा, लोहाघाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
03	डॉ लक्ष्मी गहतोडी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मुडियानी, चम्पावत	सुगम	रा0प्रा0वि0 अमकडिया, चम्पावत	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

01- संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

*Handwritten signature*

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

06-उपरोक्त कार्मिकों द्वारा अधिनियम के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा 7(ग) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।

फाइल नं० - 1284-95/2018-19 तदनुषंगित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 57 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के गम्भीर रोग/विकलांग कार्मिकों के अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	अशोक सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ढरौज,पाटी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 खेतीखान, पाटी	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01- संबन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबन्धित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।



पुस्तक-1296-1307/2018-19 तद्विषयक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 58 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 28/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी कार्मिकों के अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	रीता अधिकारी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 चमदेवल, लोहाघाट	सुगम	रा0प्रा0वि0 दोरजा, लोहाघाट	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01- संबन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबन्धित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।

ML

पृ.सं. 1308-18/2018-19 तद्विनिश्चित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 59 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के दुर्गम से दुर्गम अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	राविन्द्र सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 डुंगरासौ,पाटी	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 बुंगाबीड, पाटी	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

01- संबन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबन्धित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तब उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्ररारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।

*(Handwritten Signature)*

पु.सं-1319-29/2018-19 तद्विरोधित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रोशि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रोशि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रोशि0)  
चम्पावत।



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 60 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार दुर्गम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(ग) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	अर्जुन नाथ गोस्वामी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 देवराडी, बाराकोट	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 नाकोट, लोहाघाट	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	सुरेश चन्द्र जोशी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 खायाछीना, पाटी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 उचौलीगोट, चम्पावत	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01- संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।

पु.सं-1330-40/2018-19 तद्विषयक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

25/6/18  
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 61 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/05/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार सुगम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0उ0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(क) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	सुचिता सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सैलानीगोट, चम्पावत	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 पासम, लोहाघाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

01- संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

06-उपरोक्त कार्मिकों द्वारा अधिनियम के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा 7(ग) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(सत्य नारायण)  
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।



पु.सं-1341-51/2018-19 तद्विहित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

25/6/18  
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0श10/सेवा-2(1)/ 62 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0उ0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी कार्मिकों के अनुरोध स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर रिक्त पद पर अनुरोध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	गंगाधर आर्या	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बुडम, चम्पावत	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 कठौल, चम्पावत	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

01- संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे; संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थापी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0श10)  
चम्पावत।

*Sul*



पुस्तक-1352-62/2018-19 तद्विहित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 63 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार दुर्गम में अधिकतम अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिकों में से शासन के पत्र संख्या: 140/XXX(2)/18/30(13)/2018, दिनांक 25.05.2018 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखने के निर्देश के अनुपालन में निम्न रा0उ0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा प्राथमिकता के क्रम में दिये विकल्प के आधार पर अथवा 17(1)(ग) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत रिक्त पद पर अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	जीवन चन्द्र जोशी	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 ईजट्टा-डुंगरा,पाटी	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 डसियाचामी, पाटी	सुगम	रिक्त पद के प्रति

01- संबन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबन्धित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)

चम्पावत।

पृष्ठ-1363-73/2018-19 तत्संबन्धित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

सूचना - 1374-84/2018-19 तद्विषयक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

File 25/6/18  
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 64 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार रा0प्रा0वि0 में कार्यरत स0अ0 के अनुरोध के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क0 सं0	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	प्रकाश चन्द्र	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सिल्योडीगूँठ, पाटी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कार्कीछाना, पाटी	दुर्गम	पारस्परिता के आधार पर
	मनोज नाथ महन्त	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कार्कीछाना, पाटी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 सिल्योडीगूँठ, पाटी	दुर्गम	
02	कविता मेहता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कलीगँव, लोहाघाट	सुगम	रा0प्रा0वि0 बडोली, लोहाघाट	दुर्गम	पारस्परिता के आधार पर
	शिप्रा पाठक	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बडोली, लोहाघाट	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कलीगँव, लोहाघाट	सुगम	

01- संबन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबन्धित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किराी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तब उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)

चम्पावत।

*(Handwritten Signature)*



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0सं0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 65 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/06/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार रा0प्रा0वि0 में कार्यरत प्र0अ0 के अनुरोध के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	पंकज लता वर्मा	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गंगनौला,लोहाघाट	सुगम	रा0प्रा0वि0 पोखरीबोरा, लोहाघाट	दुर्गम	पारस्परिता के आधार पर
	दीप चन्द्र जोशी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 पोखरीबोरा, लोहाघाट	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 गंगनौला,लोहाघाट	सुगम	
02	शिव नाथ गोस्वामी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बलाना, लोहाघाट	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कनेडी, लोहाघाट	सुगम	पारस्परिता के आधार पर
	नवीन लाल वर्मा	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कनेडी, लोहाघाट	सुगम	रा0प्रा0वि0 बलाना, लोहाघाट	दुर्गम	

01- सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। सम्बन्धित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तब उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की कार्मिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)

चम्पावत।

*(Handwritten Signature)*

पुस्तक - 1385-95/2018-19 तदुद्दिष्टित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत

आ0रां0/बे0शि0/सेवा-2(1)/ 66 /स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 25/08/18

स्थानान्तरण आदेश:

शासन द्वारा अधिसूचित स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार रा0उ0प्रा0वि0 में कार्यरत स0अ0 के अनुरोध के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/ विकासखण्ड	श्रेणी	टिप्पणी
01	जगदीश चन्द्र	स0अ0	रा0उ0मा0वि0 धूरा, चम्पावत	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 सैलानीगोठ, चम्पावत	सुगम	पारस्परिता के आधार पर
	जीवन सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सैलानीगोठ, चम्पावत	सुगम	रा0उ0मा0वि0 धूरा, चम्पावत	दुर्गम	

01- संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करेंगे। संबंधित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने नवीन तैनाती स्थल में कार्यभारग्रहण करेंगे। निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

02-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

03-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04-यदि स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न करते हुये सम्बन्धित की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी में इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

05-स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(सत्य नारायण)

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत।

Sal L

पुस्तक - 1396-1406/2018-19 तदनुसृत

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01:-निदेशक, (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 02:-अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा0शि0) कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 03:-जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
- 04:-मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
- 05:-वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
- 06:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 07:-जिला परियोजना अधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान चम्पावत।
- 08:-समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद- चम्पावत।
- 09:-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक।
- 10:-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 11:-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

25/6/09  
जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)  
चम्पावत